Drishti IAS

करेंट अफेयर्स हरियाणा

जनवरी (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा **3**

- प्री-जी. एस. टी. टैक्स के लिये OTS योजना 3
- हरियाणा के विकास राणा ने स्वर्ण पदक जीता 3
- हरियाणा में 18 आईएएस के तबादले 5
- हरियाणा में लिंगानुपात में गिरावट 5
- हरियाणा द्वारा गुरूग्राम और फरीदाबाद में अपशिष्ट प्रबंधन 7
- हरियाणा बकाया जल शुल्क माफ करेगा 7
- 'पाकिस्तान ज़िंदाबाद' का नारा लगाने पर राजद्रोह का आरोप 7
- हरियाणा ने अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया 8
- गुजरात शिखर सम्मेलन में हरियाणा ने गैर-एनसीआर क्षेत्रों को शामिल किया 9
- हरियाणा ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया 9
- आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में सहायता पर निर्णय लेने के लिये हरियाणा पैनल 9
- प्रोजेक्ट ई-अधिगम और आईड्रीम एजुकेशन 10
- पंचकुला में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 11
- भारतमाला परियोजना 11
- मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 12
- हिसार हवाई अड्डा अप्रैल 2024 तक शुरू हो जाएगा 13
- राष्ट्रीय बालिका दिवस (NGCD) 13
- अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना 14
- हरियाणा में मासिक बिजली बिल 15
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स 16
- गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झाँकी में 'मेरा परिवार-मेरी पहचान' को दर्शाया गया है 17
- हरियाणा माननीय शव निपटान विधेयक 2024 17

नोट :

हरियाणा

प्री-जी. एस. टी. टैक्स के लिये OTS योजना

चर्चा के क्यों ?

गुरुग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्री-जी. एस. टी. से संबंधित लंबित कर भुगतान के निपटान हेतु वन टाइम सेटलमेंट-2023 (OTS) योजना की शुरूआत की है।

- यह योजना 1 जनवरी से 30 मार्च, 2024 तक चालू रहेगी।

मुख्य बिंदु:

- कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (HIPA), गुरुग्राम के सहयोग से एक जी. एस. टी. प्रशिक्षण संस्थान खोलने की भी घोषणा की।
- सरकार व्यापारियों और उद्योग संगठनों की मांगों का जवाब देने के लिये गुरुग्राम व हिसार में वस्तु एवं सेवा कर (GST) ट्रिब्यूनल की शाखाएँ स्थापित करने की योजना बना रही है।
- OTS योजना के तहत, कर राशि को चार श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत बिना विवाद वाले मामलों के लिये निर्विवाद शुल्क श्रेणी से होगी।
  - करदाता इस श्रेणी में बिना किसी दंड या ब्याज के 100% राशि का भुगतान करेंगे।
  - ₹50 लाख से कम के विवादित कर के मामले में करदाताओं को बकाया राशि का 30% भुगतान करना होगा और यदि विवादित कर राशि ₹50 लाख से अधिक है, तो उन्हें 50% का भुगतान करना होगा।
  - तृतीय श्रेणी में अविवादित करों का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा जहाँ कोई अपील नहीं की गयी हो। यदि राशि ₹50 लाख से कम है तो करदाताओं को 40% और ₹50 लाख से अधिक होने पर 60% का भुगतान करना होगा। जुर्माने और ब्याज से राहत मिलेगी।
  - चौथी श्रेणी में कर दरों में अंतर के कारण बकाया राशि शामिल है। यहाँ, सरकार ने राशि में छूट दी है, जिससे करदाताओं को कुल राशि का केवल 30% भुगतान करना होगा।
- यदि बकाया राशि ₹10 लाख से ₹25 लाख के बीच है, तो राशि का भुगतान दो किश्तों में किया जा सकता है।
- यदि बकाया ₹25 लाख से अधिक है, तो भुगतान तीन किश्तों में बाँटा जा सकता है: पहले 90 दिनों में 40%, अगले 90 दिनों में 30% और अंतिम 90 दिनों में 30%।
- OTS योजना 30 जून, 2017 तक उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग से संबंधित बकाया कर मुद्दों को संबोधित करती है। यह विशेष रूप से सात VAT-संबंधित अधिनियमों से संबंधित चिंताओं का समाधान करती है।

हरियाणा के विकास राणा ने स्वर्ण पदक जीता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के एक किसान की 31 वर्षीय बेटी विकास राणा ने जर्मनी में क्रास कंट्री स्कीइंग (Cross Country Skiing) में चैंपियनशिप में देश के लिये पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया।

- वह एशियाई खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।

मुख्य बिंदु:

- वह जींद के उचाना क्षेत्र के सुखैन खुर्द गाँव की रहने वाली हैं।

नोट :

Medal Standings

The 19th Asian Games Hangzhou

Rank	Team/NOC				Total
1	People's Republic of China	201	111	71	383
2	Japan	52	67	69	188
3	Republic of Korea	42	59	89	190
4	India	28	38	41	107
5	Uzbekistan	22	18	31	71
6	Chinese Taipei	19	20	28	67
7	Islamic Republic of Iran	13	21	20	54
8	Thailand	12	14	32	58
9	Bahrain	12	3	5	20
10	Democratic People's Republic of Korea	11	18	10	39
11	Kazakhstan	10	22	48	80
12	Hong Kong, China	8	16	29	53

*Last Updated: Oct.8

杭州第19届亚运会
The 19th Asian Games

In case of ties, NOCs are sorted alphabetically by NOC Code

नोट :

- उन्होंने राष्ट्रीय खेलों में चार स्वर्ण, एक रजत और चार कांस्य पदक जीते हैं।
- उन्होंने छोटी उम्र में ही स्कीइंग का अभ्यास शुरू कर दिया था और ज़्यादातर गुलमर्ग में अभ्यास करती थीं।

एशियाई खेल:

- एशियाई खेल एशिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है, जो प्रत्येक चार वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है।
- एशियाई खेलों का प्रतीक चिह्न उगते हुए सूरज के साथ एक-दूसरे से जुड़े हुए छल्ले हैं।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- एशियाई खेल महासंघ ने वर्ष 1951 से 1978 तक एशियाई खेलों के विनियमन का कार्य किया। वर्ष 1982 से एशियाई खेलों के विनियमन का कार्यभार एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा किया जाने लगा।
- एशियाई खेल 2023 में भारत ने 107 पदक (28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य) जीते।

हरियाणा में 18 आईएएस के तबादले

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा राज्य में 18 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत 2003 बैच के आईएएस अधिकारी अमित कुमार अग्रवाल को हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में प्रबंध निदेशक की भूमिका सौंपी गई है।
- वर्ष 2005 बैच के आईएएस अधिकारी एवं भू-विज्ञान के राज्य निदेशक मंदीप सिंह बराड़ ने सूचना और जनसंपर्क निदेशक के रूप में अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं।
- वर्ष 1995 बैच के आईएएस अधिकारी और नई दिल्ली में हरियाणा भवन में रेजिडेंट कमिश्नर डी सुरेश अब मानव संसाधन के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किये गए हैं।
- वर्ष 2004 बैच की आईएएस अधिकारी और स्कूल शिक्षा महानिदेशक आशिमा बराड़ ने मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव की भूमिका संभाली है।
- गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी श्री पी.सी. मीना, अब हिसार में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किये गए हैं।
- वर्ष 2011 बैच के आईएएस अधिकारी और कृषि निदेशक श्री नरहरि बांगर, गुरुग्राम में नगर निगम में आयुक्त के रूप में स्थानांतरित हो गए हैं, वर्ष 2010 बैच के श्री राज नारायण कौशिक नए कृषि निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं।
- वर्ष 2004 बैच के आईएएस अधिकारी श्री सी.जी. रजनीकांतन को सामान्य उद्योग और वाणिज्य के निदेशक, एमएसएमई के महानिदेशक तथा नागरिक उड्डयन के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।
- वर्ष 2011 बैच के आईएएस अधिकारी और मानव संसाधन तथा सामान्य प्रशासन के विशेष सचिव, आदित्य दहिया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिये राज्य निदेशक के रूप में नियुक्त किये गए हैं।

हरियाणा में लिंगानुपात में गिरावट

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा के 22 में से 9 ज़िलों में जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) में गिरावट दर्ज की गई है। हालाँकि राज्य का समग्र जन्म के समय लिंगानुपात 916 पर स्थिर रहा (राष्ट्रीय SRB 933 है)।

- दूसरी ओर, गुड़गाँव में वर्ष 2022 में 925 से बढ़कर वर्ष 2023 में 928 हो गया है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- उत्तरी और मध्य ज़िलों जैसे कि सिरसा, फतेहाबाद, सोनीपत, यमुनानगर, हिसार, भिवानी, रोहतक, जिंद और चरखी दादरी में जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या में गिरावट देखी गई।
- वर्ष 2011 की जनगणना के बाद से हरियाणा में लड़के और लड़कियों के बीच का अंतर चिंता का कारण रहा है। राज्य का जन्म के समय लिंगानुपात 834 है जो देश में सबसे कम है, जिसके कारण राज्य ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।
  - वर्ष 2015 में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिये केंद्र सरकार के सहयोग से 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान शुरू किया गया था।
  - वर्ष 2015 में जन्म के समय राज्य का लिंगानुपात 876 से बढ़कर वर्ष 2016 में 900 हो गया, इसके बाद वर्ष 2017 में 914 हो गया था।
  - वर्ष 2018 में यह वही रहा लेकिन 2019 में सुधरकर 923 हो गया।
  - उसके बाद, वर्ष 2020 में 922 से वर्ष 2021 में फिर से 914 तक गिरावट देखी गई।
  - वर्ष 2022में 916 पर थोड़ा सुधार दिखा, जो वर्ष 2023 में भी उसी अंक पर बना रहा।
- अधिकारियों के अनुसार गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PC-PNDT) अधिनियम, 1994 के तहत कुल 17 मामले दर्ज किये गए थे।
  - पिछले पाँच वर्षों में राज्य में लिंग परीक्षण करने वाले क्लीनिकों पर लगभग 2,387 छापे मारे गए। इनमें से 487 छापे दूसरे राज्यों में थे।
  - पूरे हरियाणा में लिंग निर्धारण और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किट के इस्तेमाल के लिये कुल 1,376 प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) भी दर्ज की गईं।
- सरकार को PCPNDT एक्ट को और मज़बूत करने की ज़रूरत है, साथ ही अवैध गर्भपात के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिये।
- जागरूकता अभियान चलाना ज़रूरी है। ऐसे कार्यक्रमों का संचालन करना एवं नियमित अंतराल पर हुई प्रगति की निगरानी करना महत्त्वपूर्ण हैं।

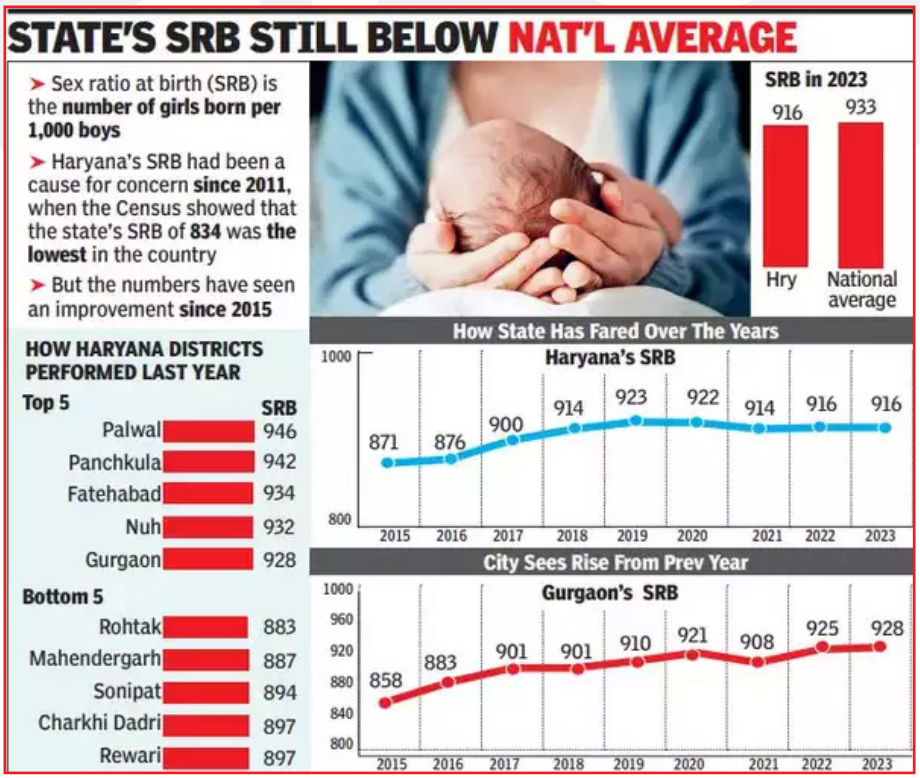

नोट :

हरियाणा द्वारा गुरूग्राम और फरीदाबाद में अपशिष्ट प्रबंधन

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा के मुख्य सचिव के अनुसार, राज्य सरकार ने गुरुग्राम के बंधवारी में 15 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे को संसाधित करने के लिये ₹126 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है।

- इस लक्ष्य को जून 2024 तक प्राप्त करने की कार्ययोजना तैयार की गई है।

मुख्य बिंदु:

- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने में विफल रहने वाली एजेंसियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
  - गुरुग्राम और फरीदाबाद में लैंडफिल में अपशिष्ट प्रबंधन तथा निपटान कार्यों के लिये ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ दंड व जुर्माना लगाया जाएगा।
- फरीदाबाद नगर निगम (MC) आयुक्त को मुजेरी में विकास कार्य पूरा करने और जनवरी के अंत तक ट्रामेल स्थापित करने तथा फरवरी 2024 के मध्य तक प्रतापगढ़ साइट पर परिचालन शुरू करने का भी निर्देश दिया गया है।
- कचरा पृथक्करण पर नियमित जागरूकता कार्यक्रम और अनुपालन की दैनिक निगरानी गुरुग्राम नगर निगम एवं फरीदाबाद नगर निगम द्वारा आयोजित की जाएगी।

हरियाणा बकाया जल शुल्क माफ करेगा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में राज्य में ग्रामीण परिवारों के लिये ₹372.13 करोड़ बकाया जल शुल्क, जिसमें अधिभार (सरचार्ज) और ब्याज भी शामिल है, माफ करने का निर्णय लिया गया।

मुख्य बिंदु:

- सूत्रों के मुताबिक इस छूट से 28.87 लाख जल कनेक्शन धारकों को फायदा होगा। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थागत, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होता है।
- कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिये 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक जमा 336.35 करोड़ रुपए की पेयजल शुल्क माफी को मंज़ूरी दे दी है।
  - इसमें सामान्य वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति वर्ग भी शामिल है।
- पर्यावरण पर्यटन नीति के विकास को भी मंज़ूरी दी गई है। यह नीति हरियाणा के विविध परिदृश्यों के संरक्षण पर ज़ोर देती है।
- इनमें दो राष्ट्रीय उद्यान, सात वन्यजीव अभयारण्य, दो रामसर स्थल, दो संरक्षण रिज़र्व और पाँच सामुदायिक रिज़र्व शामिल हैं।
  - इसमें बहुत से विशिष्ट पशु आवास पारिस्थितिकी तंत्र भी शामिल हैं, जिनमें अरावली पर्वत श्रृंखला, शिवालिक पहाड़ियाँ, समृद्ध जैवविविधता, सघन जंगल, जल निकाय और दर्शनीय स्थल शामिल हैं।

'पाकिस्तान ज़िंदाबाद' का नारा लगाने पर राजद्रोह का आरोप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एक पुनर्विचार याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें याचिकाकर्त्ता के खिलाफ IPC की धारा 124 A (देशद्रोह) के तहत आरोप तय किये गए कि उसने भारत के खिलाफ 'गंदी भाषा' का इस्तेमाल किया और 'पाकिस्तान ज़िंदाबाद' का नारा लगाया।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- कथित घटना के वीडियो के बाद, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153 A, 124 A, 504 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की और "कई समूहों के बीच दुश्मनी" पैदा करने के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार किया।
- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A राजद्रोह को उस अपराध के रूप में परिभाषित करती है, जब "कोई भी शख्स किसी तरह से, चाहे बोलकर या लिखकर या किसी संकेत से या फिर दूसरे तरीके से कानून के तहत बने सरकार के खिलाफ विद्रोह या असंतोष ज़ाहिर करता है या कोशिश करता है।"
  - विद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता की भावनाएँ शामिल होती हैं। हालाँकि इस धारा के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशिश किये बगैर की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है।
  - बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि भाषण को देशद्रोही करार देने से पहले उसके वास्तविक इरादे को ध्यान में रखा जाना चाहिये।
- राजद्रोह गैर-ज़मानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
  - इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है।
  - आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होता है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना ज़रूरी है।

भारतीय दंड संहिता (IPC)

- भारतीय दंड संहिता (IPC) भारत की आपराधिक संहिता है जिसे वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के अंर्तगत वर्ष 1834 में स्थापित पहले कानून आयोग के अनुरूप वर्ष 1860 में तैयार किया गया था।
- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिये प्रक्रियाएँ प्रदान करती है। इसे वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 1974 को प्रभावी हुआ।

हरियाणा ने अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित राज्य के खिलाड़ियों और उनके कोच को सम्मानित किया।

मुख्य बिंदु:

- मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पहलवान सुनील कुमार, अंतिम पंघाल और गोल्फर दीक्षा डागर को सम्मानित किया।
- खिलाड़ियों ने हरियाणा की खेल नीति की सराहना करते हुए कहा कि इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है और इस 'प्रो-प्लेयर' नीति के कारण अब युवाओं का रुझान खेलों के प्रति बढ़ा है।
- मुख्यमंत्री के अनुसार, हरियाणा में गाँव-गाँव तक खेलों के लिये एक मूलभूत ढाँचा विकसित किया जाएगा ताकि युवाओं को बचपन से ही प्रशिक्षित किया जा सके।
- युवाओं को लोकप्रिय खेलों में प्रशिक्षित करने के लिये विशेष उच्च-शक्ति प्रदर्शन केंद्र स्थापित करने की योजना भी चल रही है। खेल सामग्री ग्राम पंचायत के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

अर्जुन पुरस्कार

- यह वर्ष 1961 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि की पहचान करने के लिये स्थापित किया गया था।
- यह विगत चार वर्षों की अवधि में अच्छा प्रदर्शन और नेतृत्त्व करने, खेल कौशल तथा अनुशासन की भावना दर्शाने हेतु दिया जाता है।
- इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक सम्मान पत्र दिया जाता है।

नोट :

- वर्ष 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 26 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- इस सूची में ज़्यादातर एशियाई खेल 2023 के एथलीट शामिल हैं, जहाँ भारत ने आयोजन के एक ही संस्करण में 100 से अधिक पदक जीतकर इतिहास रचा था।

गुजरात शिखर सम्मेलन में हरियाणा ने गैर-एनसीआर क्षेत्रों को शामिल किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संपन्न वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के दौरान, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गैर-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) क्षेत्रों में निवेशकों के लिये अवसरों का विपणन किया है।

- शिखर सम्मेलन की मुख्य चिंताएँ का विषय एयर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स था।

मुख्य बिंदु:

- इस कार्यक्रम में कैथल, जींद, हिसार, अंबाला, सिरसा और फतेहाबाद गैर-एनसीआर ज़िले थे।
- ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंध ने विदेशी निवेशकों को हरियाणा की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिये प्रोत्साहित करने में रुचि दिखाई।

हरियाणा ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया

चर्चा में क्यों ?

अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस की घोषणा की।

नोट:

- CM ने पंचकुला में एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी।
  - हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) का निर्माण घग्गर नदी से सटे सेक्टर 32 में लगभग 30 एकड़ में ₹650 करोड़ की अनुमानित लागत से किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु:

- हरियाणा, अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा (अभिषेक) समारोह के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला सातवाँ राज्य बन गया है।
  - इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़ शामिल हैं।

आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में सहायता पर निर्णय लेने के लिये हरियाणा पैनल

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल के अनुसार, राज्य सरकार आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं/घटनाओं से निपटने के लिये महत्त्वपूर्ण कदम उठा रही है।

मुख्य बिंदु:

- ऐसे मामलों में मुआवज़ा निर्धारित करने के लिये सभी ज़िलों में डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई है, जिसका निर्णय दावा प्रस्तुत करने के चार माह के भीतर होने की उम्मीद है।
- समिति में पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के एक प्रतिनिधि जैसे सदस्य शामिल हैं।
  - यह समिति ऐसे मामलों में मुआवज़ें पर निर्णय लेते समय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के दिशानिर्देशों और मानकों का पालन करेगी।
  - निर्णय संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव या NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के परियोजना निदेशक को भेजा जाएगा, जिन्हें छह सप्ताह के भीतर दावेदार को मुआवज़ा देना होगा।

नोट :

- मुआवज़े के उद्देश्य से आवारा पशुओं में गाय, बैल, कुत्ते, गधे, नीलगाय और भैंस जैसे पशु शामिल होते हैं।
- चंडीगढ़ उच्च न्यायालय ने मुआवज़ें की राशि निर्दिष्ट की है, जैसे कुत्ते के काटने पर 10,000 रुपए और कुत्ते के काटने से घायल होने पर न्यूनतम 20,000 रुपए।
- ऐसी दुर्घटनाओं के लिये मुआवज़ा प्रदान करने हेतु 'दीन दयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना' पहले से ही चल रही थी।

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना

- हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 'दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना' शुरू करने की घोषणा की।
- इस योजना के तहत परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (FIDR) में सत्यापित डेटा के आधार पर, परिवार के 6 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर साथ ही जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम हो उन्हें 60 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह योजना मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के समय व्यक्ति की उम्र के आधार पर सहायता प्रदान करेगी।

प्रोजेक्ट ई-अधिगम और आईड्रीम एजुकेशन

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2022 में, हरियाणा सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग ने हरियाणा में 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के प्रत्येक सरकारी स्कूल के छात्र को सैमसंग टैबलेट देने वाले प्रोजेक्ट ई-अधिगम को लॉन्च किया गया है।

- यह उपचारात्मक और पूरक शिक्षण सहायता के लिये एक एकीकृत वैयक्तिकृत अनुकूली शिक्षण (PAL) समाधान प्रदान करता है।

मुख्य बिंदु:

- इन टैबलेटों पर वैयक्तिकृत अनुकूली शिक्षण मंच के लिये विभाग ने तीन PAL समाधान प्रदाताओं को कार्य सौंपा है।
  - iPrep PAL को छात्रों के लिये वन-स्टॉप, सर्व-समावेशी पूरक शिक्षण मंच बनने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एनिमेटेड वीडियो पाठ, दीक्षा (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing- DIKSHA) सामग्री, अभ्यास प्रश्न, डिजिटल किताबें और संदर्भ सामग्री, सिमुलेशन के साथ व्यावहारिक तक अनुकूली तथा गतिशील पहुँच शामिल है।
- ई-अधिगम (अनुकूली मॉड्यूल के साथ सरकार की उन्नत डिजिटल हरियाणा पहल) देश में टैबलेट पर अपनी तरह की पहली नियोजित PAL परियोजना बन गई।
  - शिक्षक के मार्गदर्शन और निगरानी के तहत सभी छात्रों को स्कूल में तथा घर पर सीखने के लिये पहले से स्थापित वैयक्तिकृत अनुकूली शिक्षण अनुप्रयोगों के साथ डिजिटल उपकरण प्रदान किये गए हैं।
  - शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में प्रत्येक छात्र को टैबलेट दिये जाते हैं, वे इसका उपयोग पूरे वर्ष कक्षाओं में सीखने और घर पर रिवीज़न के लिये करते हैं।
  - शैक्षणिक वर्ष के अंत में, टैबलेट को अगली कक्षा में वितरित करने से पहले स्कूल में वापस कर दिया जाता है।
- प्रत्येक छात्र को टैबलेट का उपयोग करने और उससे सीखने के परिणामों के डेटा को केंद्रीय रिपोर्टिंग डैशबोर्ड के माध्यम से ट्रैक किया जाता है तथा छात्र स्तर के उपयोग एवं सीखने के सुधारों के विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से निगरानी की जाती है।
- टैबलेट पर PAL सरकारी स्कूल के छात्रों को व्यक्तिगत, आनंददायक और गैर-निर्णयात्मक सीखने के माहौल में अपने पिछले वर्ष के सीखने के अंतराल को कवर करने तथा अपने ग्रेड-स्तरीय सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये सशक्त बनाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है।

नोट:

- आईड्रीम एजुकेशन सीखने और विकास तक सार्वभौमिक पहुँच को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से कार्य करता है। ये समाधान सीखने में बाधाओं को कम करने और छात्रों को असीमित रूप से सीखने हेतु सशक्त बनाने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं।

नोट :

- इसे हासिल करने के लिये, यह स्मार्ट क्लासरूम, ICT लैब्स, टैबलेट, नोटबुक और मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने डिजिटल कंटेंट तथा लर्निंग प्लेटफॉर्म को वितरित करने के लिये स्कूलों एवं छात्रों के साथ कार्य करने वाले सिस्टम इंटीग्रेटर्स, सरकार, CSR, NGO व अन्य पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारों के साथ साझेदारी करता है।

पंचकुला में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी।

मुख्य बिंदु:

- हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) द्वारा पंचकुला के सेक्टर 32 में 30 एकड़ भूमि पर बनाई जाने वाली इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने की उम्मीद है।
- प्रारंभिक चरण में 500 करोड़ रुपए का व्यय होगा, जिसमें 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है। पूरी परियोजना 30 महीने के भीतर पूरी होने की उम्मीद है।
- भविष्य में राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 29 हो जाएगी और MBBS सीटें 3,500 हो जाएंगी।
  - विशिष्ट डॉक्टरों की आवश्यकता को पूरा करते हुए राज्य में स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों की संख्या 851 से बढ़कर 1,200 हो जाएगी।
  - इन मेडिकल कॉलेजों के भीतर पैरा-मेडिकल कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज भी स्थापित किये जाएंगे।
  - राज्य भर में मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जा रहे हैं, जैसे- कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय, प्राकृतिक उपचार के लिये पंचकुला में एक आयुष एम्स और कुटैल में कल्पना चावला स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय।

भारतमाला परियोजना

चर्चा में क्यों ?

एक बैठक में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतमाला परियोजना समेत राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

मुख्य बिंदु:

- चर्चा में NH-152 D पर महेंद्रगढ़ ज़िले में बाघोत के पास प्रवेश और निकास बिंदु खोलने की मांग शामिल थी।
- उपमुख्यमंत्री ने इन बातों पर दिया ज़ोर:
  - उचाना, हिसार और जींद में भारतमाला परियोजना के तहत बाईपास सड़कों का निर्माण।
  - पंचकुला-यमुनानगर राजमार्ग पर सेक्टर 26 और 27 में विभाजित सड़कों पर अंडरपास का निर्माण।
  - गुरूग्राम-फारुख नगर-झज्जर-चरखी दादरी-लोहारू रोड को अपग्रेड करने के लिये एक सर्वेक्षण।
  - नेल्सन मंडेला मार्ग दिल्ली MG रोड गुरुग्राम को फरीदाबाद रोड से जोड़ने के लिये।

राष्ट्रीय राजमार्ग

- राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) यात्रियों और माल की अंतर-राज्यीय आवाजाही के लिये देश की मुख्य सड़कें हैं।
- वे प्रमुख बंदरगाहों, रेल जंक्शनों, राज्य एवं राष्ट्रीय की राजधानियों, सीमा पार और अंतरराष्ट्रीय सड़कों से जुड़ते हुए पूरे देश जुड़ते हैं।
- एक्सप्रेस-वे सहित NH सभी सड़कों की लंबाई का केवल 1.7% है, वे लगभग 40% सड़क यातायात का वहन करते हैं।

भारतमाला परियोजना

- इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने की थी। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) के तहत शुरू किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है।

नोट :

- योजना के तहत सरकार का इरादा लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 83,677 किलोमीटर राजमार्ग और सड़कें बनाने है।
- पहले चरण में 5.35 लाख करोड़ रुपए की लागत से 34,800 किलोमीटर राजमार्ग बनाने की योजना है।
- यह सीमा एवं अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कों, तटीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़कों के विकास, राष्ट्रीय गलियारों, आर्थिक गलियारों तथा अन्य की दक्षता में सुधार जैसी नई पहलों पर केंद्रित है।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत आवेदनों पर तेज़ी से कार्रवाई करने और सरकारी ज़मीन पर बनी दुकानों एवं घरों को 20 वर्ष के लिये स्वामित्व अधिकार देने का निर्देश दिया।

- यह विभागों, बोर्डों, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के स्वामित्व वाली भूमि पर लागू होता है।

मुख्य बिंदु:

- राज्य नोडल अधिकारी (SNO) को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, हरियाणा शैरी विकास प्राधिकरण तथा राजस्व व आपदा विभाग द्वारा नामित किया गया है।
- यह बताया गया है कि स्वामित्व अधिकार के लिये अब तक 99 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, जबकि 901 लंबित हैं। प्रत्येक विभाग को 15 दिन के भीतर लंबित आवेदनों पर निर्णय लेना होगा।
  - यदि इस अवधि में निर्णय नहीं हुआ तो जिस विकी ज़मीन है, उस विभाग के ज़िला स्तरीय अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।
  - शहरी स्थानीय निकाय विभाग इस संबंध में सभी संबंभाग धित विभागों के साथ नियमित बैठकें करेगा और इसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेजेगा।

नोट :

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना

- इसे राज्य में 20 वर्षों से अधिक समय से किराए या पट्टे पर चल रही नगर पालिकाओं की वाणिज्यिक भूमि का स्वामित्व देने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- इस योजना के तहत, जो व्यक्ति किराए या पट्टे के माध्यम से 20 वर्षों से भूमि पर कब्ज़ा कर रहे हैं, उन्हें कलेक्टर दर के 80% तक भुगतान पर स्वामित्व अधिकार दिया जा रहा है।
- इसी तरह ज़मीन पर कब्ज़े के वर्षों की सीमा के अनुसार अलग-अलग दरों पर कलेक्टर रेट देना होगा, जैसे 25 वर्ष के लिये कलेक्टर रेट का 75%, 30 वर्ष के लिये 70%, 35 वर्ष के लिये 65%, 40 वर्षों के लिये 60%, 45 वर्षों के लिये 55%। 50 वर्षों के लिये 50% भुगतान पर स्वामित्व अधिकार देने का प्रावधान है।

हिसार हवाई अड्डा अप्रैल 2024 तक शुरू हो जाएगा

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा अप्रैल 2024 से वाणिज्यिक संचालन के लिये खुला रहेगा।

मुख्य बिंदु:

- राज्य सरकार ने हिसार से चंडीगढ़, जयपुर और अहमदाबाद जैसे शहरों के लिये उड़ानें शुरू करने हेतु एलायंस एयर के साथ बातचीत की तथा वाहक ने हवाई अड्डे से संचालन के लिये पहले ही DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशक) से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर लिया है।
- सूत्रों के अनुसार, यह 7,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में परिकल्पित एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा होगा जिसे तीन अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा। चरण 1 कुछ वर्ष पहले ही लागू किया गया था।
- चरण 2 के तहत, 10,000 फीट का रनवे, 2.1 मिलियन यात्रियों की वार्षिक क्षमता वाला एक टर्मिनल भवन तथा विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के कार्गो और MRO (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल) के लिये सभी संबंधित सुविधाएँ मौजूद थीं।
- हिसार हवाई अड्डे के अलावा, राज्य सरकार ने हरियाणा में पाँच हवाई पट्टियाँ विकसित की हैं।

राष्ट्रीय बालिका दिवस (NGCD)

चर्चा में क्यों ?

भारतीय समाज में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालने के लिये प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस (National Girl Child Day- NGCD) मनाया जाता है।

- यह दिन लड़कियों के सामने आने वाली असमानताओं के बारे में जागरूकता लाने और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा पोषण में समान अवसरों का समर्थन करने पर केंद्रित है।

मुख्य बिंदु:

- NGCD की स्थापना वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी।
  - यह पहल बाल विवाह और लिंग आधारित हिंसा सहित लड़कियों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को पहचानती है।
- NGCD ने 22 जनवरी, 2015 को शुरू की गई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना (Save the Girl Child, Educate the Girl Child) की उद्घाटन वर्षगाँठ मनाई।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना

- परिचय:
  - यह योजना गिरते बाल लिंग अनुपात (CSR) और जीवन-चक्र निरंतरता में महिला सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिये शुरू की गई थी।

नोट :

- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MW&CD), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MH&FW) और शिक्षा मंत्रालय का त्रि-मंत्रालयी प्रयास है।

- मुख्य उद्देश्य:
  - लिंग आधारित चयन पर रोकथाम।
  - बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
  - बालिकाओं के लिये शिक्षा की उचित व्यवस्था तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।
  - बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना।
- BBBP के तहत नवोन्वेषी हस्तक्षेप: जिन नवप्रवर्तनों ने लड़कियों के लिये एक सकारात्मक पारिस्थितिकी तंत्र/सक्षम वातावरण तैयार किया है, उनमें शामिल हैं:
  - गुड्डी-गुड्डा बोर्ड: (सार्वजनिक रूप से जन्म सांख्यिकी का प्रदर्शन (लड़कों की तुलना में जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या)।
    - उदाहरण: महाराष्ट्र के जलगाँव ज़िले ने डिजिटल गुड्डी-गुड्डा डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किये हैं।
  - लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ना और पुत्र-केंद्रित अनुष्ठानों को चुनौती देना: बालिका के जन्म का जश्न मनाना, बालिका के मूल्य पर विशेष दिन समर्पित करना, बालिका के पोषण और देखभाल का प्रतीक वृक्षारोपण अभियान।
    - उदाहरण: कुड्डालोर (तमिलनाडु), सेल्फी विद डॉटर्स (जींद ज़िला, हरियाणा)।

अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना

चर्चा में क्यों ?

- केंद्र सरकार 'अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना' के तहत आर्द्रभूमि पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन की अगुवाई कर रही है।
- इस पहल की शुरुआत जून 2023 में की गई थी जिसका उद्देश्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील आर्द्रभूमियों, विशेष रूप से ओडिशा की चिल्का झील तथा हरियाणा स्थित सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जैसे रामसर स्थलों (Ramsar sites) पर पर्यटन प्रथाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है।

मुख्य बिंदु:

- यह योजना पर्यटन मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है।
- यह योजना आर्द्रभूमि के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने और स्थानीय समुदायों के लिये जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इकोटूरिज़्म के अवसरों एवं आय सृजन को बढ़ाने के लिये अगले तीन वर्षों (2023 से) में लागू की जाएगी।
  - योजना का प्राथमिक उद्देश्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील आर्द्रभूमियों पर रणनीतिक रूप से उच्च मात्रा वाले पर्यटन से उच्च मूल्य वाले प्रकृति पर्यटन में परिवर्तन करना है।
- इसका उद्देश्य संपूर्ण देश के रामसर स्थलों की प्रकृति-पर्यटन क्षमता का उपयोग कर स्थानीय समुदायों के लिये आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना है।
- यह योजना विभिन्न केंद्र सरकार के मंत्रालयों और एजेंसियों, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों, औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्थानों एवं व्यक्तियों के एक नेटवर्क के साथ मिलकर एक सामान्य उद्देश्य के लिये काम करते हुए कार्यान्वित की जा रही है।
- योजना के तहत 16 चिह्नित रामसर स्थलों में से पाँच को पायलट प्रोजेक्ट के लिये चुना गया है।
  - इन पायलट स्थलों में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान (हरियाणा), भितरकनिका मैंग्रोव (ओडिशा), चिल्का झील (ओडिशा), सिरपुर (मध्य प्रदेश) और यशवंत सागर (मध्य प्रदेश) शामिल हैं।

नोट :

रामसर अभिसमय (RAMSAR CONVENTION)

Drishti IAS

परिचय:

- इसे आर्द्रभूमियों पर अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है।
- यह एक अंतर-सरकारी संधि है जिसे वर्ष **1971** में रामसर, ईरान में अपनाया गया।
- वर्ष **1975** में इसे लागू किया गया।
- ऐसी आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल घोषित किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्व रखती हों।
- **विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल:** पैंटानल, दक्षिण अमेरिका।

मोंट्रेक्स रिकॉर्ड:

- वर्ष **1990** में मोंट्रेक्स (स्विटजरलैंड) में इसे अपनाया गया।
- यह उन रामसर स्थलों की पहचान करता है जिनके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है।

आर्द्रभूमियाँ:

- आर्द्रभूमि एक ऐसा स्थान है जहाँ भूमि मौसमी अथवा स्थायी रूप से जल (खारा या मीठा/ताजा अथवा इन दोनों के बीच की स्थिति) से ढकी होती है।
- यह नदियों, दलदल, मैंग्रोव, कीचड़ युक्त भूमि, तालाबों, जलमग्न स्थान, बिलबोंग (नदी की वह शाखा जो आगे चलकर समाप्त हो गई हो), लैगून, झीलों और बाढ़ के मैदानों सहित विभिन्न रूपों में हो सकती है।
- **विश्व आर्द्रभूमि दिवस: 2** फरवरी

भारत और रामसर अभिसमय:

- भारत में रामसर अभिसमय वर्ष **1982** में लागू हुआ।
- **रामसर स्थलों की कुल संख्या: 75**
- चिल्का झील (ओडिशा), केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान), हरिके झील (पंजाब), लोकटक झील (मणिपुर), वुलर झील (जम्मू और कश्मीर) आदि।
- **भारत में संबंधित फ्रेमवर्क**
  - आर्द्रभूमियों के संरक्षण तथा प्रबंधन हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, **1986** के प्रावधानों के तहत 'आद्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) अधिनियम, **2017**' को अधिसूचित किया है।
  - ये नियम आर्द्रभूमियों के प्रबंधन को विकेंद्रीकृत करते हैं तथा राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या केंद्रशासित प्रदेश आर्द्रभूमि प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करते हैं।

प्रमुख तथ्य

- **भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल:** सुंदरबन, पश्चिम बंगाल
- **भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल:** वेम्बन्नूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, तमिलनाडु
- **सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य:** तमिलनाडु (14)
- **मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्रभूमियाँ:**
  - केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान
  - लोकटक झील, मणिपुर

हरियाणा में मासिक बिजली बिल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पूरे हरियाणा के चार शहरों में, बिजली बिल अब दो महीने के बिलों को जोड़ने की मौजूदा प्रणाली के बजाय मासिक आधार पर जारी किये जाएंगे।

मुख्य बिंदु:

- जिन चार शहरों में मासिक बिजली बिल जारी किये जाएंगे उनमें पंचकुला, करनाल, हिसार और महेंद्रगढ़ शामिल हैं।

नोट :

- सरकार 1 फरवरी, 2024 से बेघरों और गरीबों को छोटे भूखंड उपलब्ध कराने के लिये एक योजना शुरू करने के लिये पूरी तरह तैयार है।
  - मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत राज्य सरकार ने ऐसे भूखंडों और फ्लैटों की आवश्यकता जानने के लिये एक विज्ञापन जारी किया था।
- प्रदेश की 15 और अनाज मंडियों में अटल किसान मज़दूर कैंटीन खोली जाएंगी।

अटल किसान मज़दूर कैंटीन

- ये किसानों और मज़दूरों को 10 रुपए प्रति प्लेट की रियायती दर पर किफायती एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराएंगे।
- कैंटीन का संचालन हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा ने उड़ीसा के साथ छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बालक और बालिका हॉकी स्पर्धा में खिताब जीते हैं।

मुख्य बिंदु:

- खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत वर्ष 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से हुई थी।
  - इन खेलों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को ढूंढना और उन्हें तैयार करना तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिये प्रशिक्षित करना है।
  - खेलो इंडिया योजना युवा कार्य और खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
- इसके तहत, खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG), खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (KIUG) और खेलो इंडिया विंटर गेम्स को वार्षिक राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के रूप में स्थापित किया गया था, जहाँ युवाओं ने क्रमश: अपने राज्यों एवं विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने कौशल का प्रदर्शन किया तथा पदक के लिये प्रतिस्पर्धा की।
- हॉकी फाइनल के परिणाम:
  - बालक: ओडिशा ने मध्य प्रदेश के खिलाफ 4 गोल से फाइनल जीता।
  - बालिकाएँ: हरियाणा ने मध्य प्रदेश के खिलाफ 1 गोल से फाइनल जीता।

नोट :

गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झाँकी में 'मेरा परिवार-मेरी पहचान' को दर्शाया गया है

चर्चा में क्यों ?

26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झाँकी में 'मेरा परिवार-मेरी पहचान' की थीम को दर्शाया गया, जो हरियाणा सरकार का एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो "विकसित भारत" के सपने को साकार करने में सार्थक भूमिका निभा रहा है।

मुख्य बिंदु:

- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा एकत्रित एवं अद्यतन प्रत्येक परिवार के डेटा के माध्यम से प्रौद्योगिकी से जुड़कर पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है।
- परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकार हर पात्र व्यक्ति तक योजनाएँ पहुँचा रही है।
- इस झांकी को महिलाओं के सशक्तीकरण के पारंपरिक प्रतीक के रूप में तैयार किया गया है।
  - डिजिटल उपकरण रखने वाली महिला एक विकसित डिजिटल भारत का प्रतीक है, जो हरियाणा के हर कोने में लोगों को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से घर बेठे सिर्फ एक क्लिक के साथ सरकारी योजनाओं तक पहुँचने और उनका लाभ उठाने में सक्षम बनाती है।
  - "परिवार पहचान पत्र" के महत्त्वपूर्ण लाभों पर भी प्रकाश डाला गया जैसे कि राशन की निर्बाध खरीद, किसान परिवारों के लिये कृषि सब्सिडी, युवा छात्रों के लिये छात्रवृत्ति और बुजुर्गों के लिये पेंशन।

परिवार पहचान पत्र

- परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2020 में की गई थी।
- परिवार पहचान पत्र के तहत प्रत्येक परिवार को एक इकाई मानते हुए आठ अंकों की अद्वितीय परिवार आईडी प्रदान की जा रही है।
- इसका उद्देश्य हरियाणा के सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा तैयार करना है, ताकि प्रत्येक लाभार्थी को परेशानी मुक्त तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके।

नोट:

- 'राष्ट्रपति के अंगरक्षक'- 2024 गणतंत्र दिवस (75वाँ) विशिष्ट रेजिमेंट के लिये विशेष है क्योंकि 'अंरक्षक' ने वर्ष 1773 में अपनी स्थापना के बाद से 250 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।
- भारत की राष्ट्रपति और फ्राँस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन, जो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं, 'पारंपरिक बग्गी' में कर्तव्य पथ पर पहुँचे, यह एक प्रथा जिसने 40 वर्षों के अंतराल के बाद वापसी की।

हरियाणा माननीय शव निपटान विधेयक 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा कैबिनेट ने एक मसौदा विधेयक को मंज़ूरी दी, जिसमें किसी मृत व्यक्ति के शरीर के साथ किसी भी विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने का प्रावधान है।

मुख्य बिंदु:

- एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस ऐतिहासिक विधेयक का उद्देश्य मृतकों का सभ्य और समय पर अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना है।
- किसी मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, किसी को भी मृत शरीर का समय पर अंतिम संस्कार न करके किसी भी विरोध या आंदोलन के माध्यम से कोई भी मांग उठाने या किसी भी मांग को आगे बढ़ाने का प्रलोभन देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

नोट :

- किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में किसी निकाय को विरोध या प्रदर्शन के साधन के रूप में उपयोग करने से रोकना आवश्यक है।
  - प्रस्तावित कानून उन मामलों में सार्वजनिक अधिकारियों की ज़िम्मेदारी पर भी जोर देता है जहाँ परिवार के सदस्य किसी शव को अस्वीकार कर देते हैं, जिससे उचित अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया जाता है।
- यह ध्यान रखना उचित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, गरिमा और उचित व्यवहार का अधिकार न केवल जीवित व्यक्ति को बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को भी मिलता है।
- राज्य मंत्रिमंडल ने विदेश जाने के इच्छुक निर्दोष लोगों को धोखा देने वाले ट्रैवल एजेंटों पर लगाम लगाने के लिये एक और मसौदा विधेयक 'हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024' को भी मंज़ूरी दे दी है।
  - मसौदा विधेयक में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना ट्रैवल एजेंट का पेशा नहीं अपना सकता है।
  - सक्षम प्राधिकारी आपराधिक गतिविधियों और शर्तों के उल्लंघन के आधार पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर सकता है।
  - रद्द किया गया पंजीकरण ट्रैवल एजेंट को एक निर्धारित अवधि के लिये पेशे से वंचित कर देगा।
  - मानव तस्करी या जाली दस्तावेज़ बनाने में शामिल व्यक्तियों को 10 वर्ष तक की कैद और 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
- हरियाणा सरकार अपने नागरिकों को अवैध आप्रवासन घोटालों का शिकार होने से बचाने के लिये प्रतिबद्ध है।
  - प्रस्तावित कानून ट्रैवल एजेंटों को विनियमित करने, आप्रवासन से संबंधित सेवाओं में पारदर्शिता, वैधता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है।

✦ ✦ ✦ ✦

The Vision

नोट :